App-A
Crim-1

Form No. III

फर्द अहकाम

2016/00170

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी (पाली)

चेनाराम / डुडाराम बनाम तहसीलदार देसूरी

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नम्बर 49 सन् 2016

अन्तर्गत धारा 88 RTAct & 136 RTAct

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/5/16	प्रा० पत्र न्याय आपके इस के समक्ष दरखी पेश हुई प्रार्थी के एक प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTAct & 136 RTAct प्रस्तुत कर निवेदन किया कि डुडा पुत्र गोपा की जमाबंदी सं० 2071-74 के खाता सं० 201 में सही नाम चेनाराम पुत्र डुडा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है परन्तु जमाबंदी सम्वत 2071-74 के खाता सं० 49 में नाम डुडा दर्ज हो गया है मेरे पिता का स्वर्गवास होने पर खातेदारी नामान्तरकरण करते समय नाम डुडा दर्ज हो गया जो सही है इसे शुद्ध कराने की कृपा करावें। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सरपंच ग्राम का प्रमाण पत्र लिया जाकर सहखातेदारी के बयान दर्ज कराये गये। प्रार्थी द्वारा राशन कार्ड, मकानशुदा कार्ड, आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की जो पत्रावली रखी गयी। हमने प्रस्तुत प्रा० पत्र संलग्न दस्तावेजात व बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर नाम डुडा के स्थान चेनाराम / डुडाराम दर्ज करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार जाकर नाम पुत्र डुडा के स्थान पर चेनाराम पुत्र डुडाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली खारिज कर फैसल शुमार होकर स(क) के क्रम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)